

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ,जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी:- प्रीतम कुमार, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या:- 37 / 2025

वादी:-

मगाराम पुत्र स्व. श्री हरजीराम, जाति-माली, निवासी- हराला बेरा ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. प्रेमराम पुत्र स्व. हरजीराम,
2. श्रीमती मोहनी देवी धर्मपत्नी स्व. हरजीराम, जातियान-माली, निवासीगण- हराला बेरा, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय


दिनांक:- 7/4/26

उपस्थिति:-

1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता वादी।
2. प्रतिवादी सं. 1 स्वयं उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2026 जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा चौखा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बरान् 482, 491, 494, 500, 663, 664, 732, 733, 770/664 कुल रकबा 7.1063 हैक्टेयर की भूमियों में वादी द्वारा वादपत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार वादी के हिस्से 3/256 (जमाबंदी अनुसार) को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं इसी अनुरूप वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन का अनुतोष भी स्वीकार किया गया था। तहसीलदार जोधपुर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2026 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के द्वारा कब्जे व जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर नजरी नक्शा के साथ बंटवाडा विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2026 की पालना में तहसीलदार जोधपुर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 2 के अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्रस्ताव तहसीलदार जोधपुर के पत्रांक भू.अ./2026/2133 दिनांक 2.04.2026 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया मौजा चौखा पटवार हल्का चौखा तहसील व जिला जोधपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा अनुसार है मगाराम पुत्र हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.1549 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 0.3827 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 1.2516 हैक्टेयर कुल खसरा तीन कुल रकबा 1.7892 हैक्टेयर), प्रेमराम पुत्र


उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.1830 हैक्टेयर , खसरा सं. 664 रकबा 1.2516 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 0.3547 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 1.7893 हैक्टेयर), मगाराम , प्रेमाराम पुत्र हरजीराम मोहनी देवी पत्नी हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 0.3012 हैक्टेयर, खसरा सं. 770/664 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल खसरा तीन कुल रकबा 0.3498 हैक्टेयर), मगाराम, प्रेमाराम पुत्र हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 664 रकबा 0.2784 हैक्टेयर कुल खसरा एक कुल रकबा 0.2784 हैक्टेयर), मोहनी देवी पत्नी हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.5281 हैक्टेयर , खसरा सं. 732 रकबा 1.1736 हैक्टेयर, खसरा सं. 733 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा सं. 482 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा सं. 491 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा सं. 494 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 500 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल खसरा 7 कुल रकबा 2.2521 हैक्टेयर) एवं राधा देवी पुत्री हरजीराम, देवी गहलोत पुत्री हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 664 रकबा 0.6475 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.6475 हैक्टेयर) के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा है जो वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा रखना प्रस्तावित किया गया है। जिस संबंध में किसी भी पक्षकारान द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई है। पक्षकार मगाराम एवं प्रेमाराम ने अपने हिस्से में से पंजीबद्ध विलेख के माध्यम से बख्शीश नामा (प्रथम) अपनी बहन राधा देवी पुत्री हरजीराम को दिनांक 11.12.2024 को किया गया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 655 में पृष्ठ संख्या 177 पर पंजीबद्ध किया गया एवं पक्षकार मगाराम एवं प्रेमाराम ने अपने हिस्से में से पंजीबद्ध विलेख के माध्यम से बख्शीश नामा (द्वितीय) अपनी बहन देवी गहलोत पुत्री हरजीराम को दिनांक 11.12.2024 को किया गया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 655 में पृष्ठ संख्या 174 पर पंजीबद्ध किया गया जिसे पेश किया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से व उपरोक्त विवेचानुसार प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी को वाद मुताबिक बंटवाडा प्रस्ताव मय राजस्व नक्शा को अंतिम डिक्री निम्नानुसार पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल या कब्जा काश्त नहीं करे। अन्तिम डिक्री के अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमएं कायम कर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

(पीतम कुमार) आई ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उप-खण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर
जोधपुर (उत्तर)

संशोधित निर्णय दिनांक 7/4/26..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीतम कुमार) आई ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उप-खण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर
जोधपुर (उत्तर)

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ला दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, (उत्तर) व
इजलास प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
वादी:-

मगाराम पुत्र स्व. श्री हरजीराम, जाति-माली, निवासी- हराला बेरा ग्राम चौखा तहसील
व जिला जोधपुर।


बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. प्रेमराम पुत्र स्व. हरजीराम,
2. श्रीमती मोहनी देवी धर्मपत्नी स्व. हरजीराम,
जातियान-माली, निवासीगण- हराला बेरा, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

दावा बाबत 88,53,188 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 37/2025 यह मुकदमा वास्ते
इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित की ओर से
हजारी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार जोधपुर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्रस्ताव तहसीलदार जोधपुर के
पत्रांक भू.अ./2026/2133 दिनांक 2.04.2026 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया मौजा
चौखा पटवार हल्का चौखा तहसील व जिला जोधपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा
अनुसार है मगाराम पुत्र हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.1549 हैक्टेयर, खसरा
सं. 664 रकबा 0.3827 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 1.2516 हैक्टेयर कुल खसरा तीन कुल
रकबा 1.7892 हैक्टेयर), प्रेमराम पुत्र हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.1830
हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 1.2516 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 0.3547 हैक्टेयर कुल
खसरा 3 कुल रकबा 1.7893 हैक्टेयर), मगाराम, प्रेमराम पुत्र हरजीराम मोहनी देवी पत्नी
हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 663 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा सं. 664 रकबा 0.3012
हैक्टेयर, खसरा सं. 770/664 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल खसरा तीन कुल रकबा 0.3498
हैक्टेयर), मगाराम, प्रेमराम पुत्र हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 664 रकबा 0.2784 हैक्टेयर
कुल खसरा एक कुल रकबा 0.2784 हैक्टेयर), मोहनी देवी पत्नी हरजीराम का हिस्सा (खसरा
सं. 663 रकबा 0.5281 हैक्टेयर, खसरा सं. 732 रकबा 1.1736 हैक्टेयर, खसरा सं. 733
रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा सं. 482 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा सं. 491 रकबा 0.0486
हैक्टेयर, खसरा सं. 494 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा सं. 500 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल
खसरा 7 कुल रकबा 2.2521 हैक्टेयर) एवं राधा देवी पुत्री हरजीराम, देवी गहलोत पुत्री
हरजीराम का हिस्सा (खसरा सं. 664 रकबा 0.6475 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.6475
हैक्टेयर) के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा है जो वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा
रखना प्रस्तावित किया गया है। जिस संबंध में किसी भी पक्षकारान द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत नहीं
की गई है। पक्षकार मगाराम एवं प्रेमराम ने अपने हिस्से में से पंजीबद्ध विलेख के माध्यम से


उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

बख्शीश नामा (प्रथम) अपनी बहन राधा देवी पुत्री हरजीराम को दिनांक 11.12.2024 को किया गया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 655 में पृष्ठ संख्या 177 पर पंजीबद्ध किया गया एवं पक्षकार मगाराम एवं प्रेमाराम ने अपने हिस्से में से पंजीबद्ध विलेख के माध्यम से बख्शीश नामा (द्वितीय) अपनी बहन देवी गहलोत पुत्री हरजीराम को दिनांक 11.12.2024 को किया गया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 655 में पृष्ठ संख्या 174 पर पंजीबद्ध किया गया जिसे पेश किया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से व उपरोक्त विवेचानुसार प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं होने से वादी को वाद मुताबिक बंटवाडा प्रस्ताव मय राजस्व नक्शा को अंतिम डिक्री निम्नानुसार पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल या कब्जा काश्त नहीं करे। अन्तिम डिक्री के अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमएं कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

लीज.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.....X.....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....X.....को अदा करें।

वसीलत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 7/4/26 की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर (उत्तर) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अह्वान् बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक		

नोट— इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर) जोधपुर